प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक:-07.04.2021

थाना गौर पुलिस द्वारा थाना गौर अन्तर्गत ग्राम तरैनि के उत्तर स्थित जंगल के पास झाड़ियों के अंदर मिले शव की घटना का खुलासा कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गौर श्री शमशेर बहादुर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 59/21 धारा 302, 201 IPC से सम्बंधित वांछित अभियुक्तों में से दिनांक:- 06.04.2021 को समय 20:10 बजे अभियुक्त **(01)** अमरनाथ यादव पुत्र रामदुलारे यादव निवासी ग्राम रतासी मौजा सेरापार थाना कोतवाली जनपद बस्ती उम्र 27 वर्ष को सुजिया तिराहा तथा आज दिनांक:- 07.04.2021 को समय लगभग 10:10 बजे अभियुक्त **(02)** महेश यादव पुत्र मेहीलाल यादव निवासी ग्राम कछिया थाना गौर जनपद बस्ती उम्र 30 वर्ष को मुखबिर ख़ास की सूचना पर कस्बा बभनान में हरैया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

(01) अमरनाथ यादव पुत्र रामदुलारे यादव निवासी ग्राम रतासी मौजा सेरापार थाना कोतवाली जनपद बस्ती, उम्र 27 वर्ष |

(02) महेश यादव पुत्र मेहीलाल यादव निवासी ग्राम कछिया थाना गौर जनपद बस्ती, उम्र 30 वर्ष |

बरामदगी का विवरण:-

(01) एक अदद आला क़त्ल गड़ासा (धारदार हथियार) |

(02) Maruti Suzuki कार गाड़ी संख्या UP-32-AG-1073, रंग- लाल |

(03) नगद रुपए 1,500/- |

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी मीना यादव पत्नी स्व0 मुन्ना लाल यादव निवासी ग्राम बगहीकुटी थाना पठेरवा जनपद कुशीनगर हाल पता विनीत खण्ड 3E 3 /264 थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा थाना गौर जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मैं अपने लड़के राहुल यादव उम्र 19 वर्ष व लड़की के साथ कई वर्षों से लखनऊ रहती हूँ और मेरा लड़का राहुल यादव प्रॉपर्टी डीलर का काम महेश यादव के साथ करता था | दिनांक:-16.03.2021 को मेरा लड़का महेश यादव के साथ यह कह कर गया था कि मैं महेश यादव के साथ ही रहूंगा लेकिन दिनांक:-24.03.2021 को थाना गौर से यह सूचना मिली की एक अज्ञात

शव दिनांक:-22.032021 को मिली जिसमें एक गाड़ी संख्या UP-32-AG-1073 मिली है जिसके वाहन स्वामी के रूप में मेरी पुत्री का नाम है। जिसके बाद मैं और मेरी पुत्री व पड़ोसी के साथ थाना गौर जनपद बस्ती पर आयी। जहां आने के बाद मालूम हुआ कि मेरे बेटे का शव मर्चरी हाउस बस्ती में है फिर वहाँ जाकर देखकर अपने बेटे राहुल यादव के रूप में पहचान किया | मेरे बेटे को महेश यादव लालच देकर अक्सर अपने साथ ही रखता था और मेरी बेटी पर भी बुरी नज़र रखता था व कई बार उसे परेशान भी किया था तथा मेरी बेटी से ज़बदस्ती शादी करने का दबाव बनाता था व कहता था कि शादी नहीं करोगी तो जान से मार देंगे | मेरे बेटे को अक्सर 2-2, 3-3 दिन कभी कभी हफ्ते भर मेरे बेटे को बाहर साथ लेकर रहता था। मेरे बेटे को महेश यादव अपने साथ ले जाकर, जान से मारकर उसकी लाश को छिपाने के लिए ले जाकर फेंक दिया। मेरी बेटी के पास कोई गाड़ी नहीं है और ना ही मैंने कभी कोई गाड़ी खरीदी है |

घटना के संबंध में दिनांक:-25.03.2021 को थाना गौर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 59/21 धारा 302, 201 IPC पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि दिनांक:- 06.04.2021 को समय 20:10 बजे मुखबिर ख़ास की सूचना पर अभियुक्त **(01)** अमरनाथ यादव पुत्र रामदुलारे यादव निवासी ग्राम रतासी मौजा सेरापार थाना कोतवाली जनपद बस्ती उम्र 27 वर्ष को सुजिया तिराहा से घटना में प्रयुक्त साधन Maruti Suzuki कार गाड़ी संख्या UP-32-AG-1073, रंग- लाल के साथ तथा आज दिनांक:- 07.04.2021 को समय लगभग 10:10 बजे अभियुक्त **(02)** महेश यादव पुत्र मेहीलाल यादव निवासी ग्राम कछिया थाना गौर जनपद बस्ती उम्र 30 वर्ष को कस्बा बभनान में हरैया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(01) प्रभारी निरीक्षक गौर श्री शमशेर बहादुर सिंह जनपद बस्ती |

(02) व0उ0नि0 रामेश्वर यादव थाना गौर जनपद बस्ती |

(03) उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय थाना गौर जनपद बस्ती |

(04) उ0नि0 रिज़वान अली थाना गौर जनपद बस्ती |

(05) मुख्य आरक्षी चालक राजेश्वर सिंह थाना गौर जनपद बस्ती |

(06) महिला आरक्षी कीर्ति सिंह थाना गौर जनपद बस्ती |

(07) आरक्षी मनोज यादव थाना गौर जनपद बस्ती |

(08) आरक्षी विनय कुमार थाना गौर जनपद बस्ती |

(09) आरक्षी राहुल मिश्रा थाना गौर जनपद बस्ती |

(10) आरक्षी वीरेंद्र यादव थाना गौर जनपद बस्ती |